दिनांक–13.05.2026 को विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में CGRC Portal पर प्राप्त शिकायतों के संबंध में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर एवं संबंधित सभी सहायक अभियंता/कनीय अभियंता के साथ आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर अंतर्गत कतिपय प्रखंडों में विद्युत तार टूटने, पोल न लगे रहने के कारण एवं कम विद्युत वोल्टेज के कारण जलापूर्ति बाधित है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को निदेश दिया गया कि विद्युत से संबंधित समस्याओं की एक सूची तैयार कर संबंधित जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। साथ ही जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए समस्याओं का निराकरण कर, जलापूर्ति सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मुख्य अभियंता (यांत्रिक) इस संबंध में अपने स्तर से संबंधित विद्युत कार्य का अनुपालन क्षेत्रीय अभियंता से समन्वय स्थापित कर समस्या का समाधान करें। विद्युत/पंप ऑपरेटर के मानदेय भुगतान से संबंधित समस्याओं का निराकरण अगले एक सप्ताह के भीतर करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– मुख्य अभियंता(यांत्रिक)/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी/संबंधित सहायक अभियंता/संबंधित कनीय अभियंता।

- समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर के संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि पंप ऑपरेटर के मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण उनके द्वारा योजना को संचालित नहीं किया जाता है एवं न ही किसी अन्य के द्वारा संचालित करने दिया जा रहा है, जिससे जलापूर्ति बाधित रहती है। इस संबंध में संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को निदेश दिया गया कि उनको नोटिस देने के बावजूद यदि एक सप्ताह के अंदर जलापूर्ति चालू नहीं की जाती है, तो पंप ऑपरेटर के विरूद्ध सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के कारण प्राथमिकी दर्ज करेंगे। साथ ही इसकी एक प्रति मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित सहायक अभियंता/संबंधित कनीय अभियंता ।

- समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर के संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि कतिपय योजनाओं में रोड चौड़ीकरण एवं नाला बनाने के क्रम में पाईपलाईन क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस संबंध में संबंधित प्रमंडल के सभी सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को निदेश दिया गया कि यदि उस क्षेत्र में 20 से 30 घर, जहाँ जलापूर्ति बाधित है, वहाँ चापाकल/बोरिंग कर सीधी जलापूर्ति सुनिश्चित करायेंगे।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित सहायक अभियंता/संबंधित कनीय अभियंता ।

- समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर अंतर्गत सहायक अभियंता, कुरहनी, श्री अजय कुमार से योजनाओं की जांच के संबंध में पृच्छा की गई। उनके द्वारा बताया गया

कि एक साल में उन्होंने लगभग 1000 योजनओं में 70 योजनाओं की ही जांच की है। इस संबंध में सहायक अभियंता, श्री अजय कुमार से प्रशाखा–05/11 से स्पष्टीकरण करने एवं अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी योजनाओं की जांच अगले 15 दिनों में करने का निदेश दिया गया अन्यथा वेतन स्थगित करने की कार्रवाई की जाएगी।

अनुपालनः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0) के प्रावैद्यिक सचिव/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित सहायक अभियंता ।

❖ समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर अंतर्गत प्रखंड–सरैया के मरवापाकर के वार्ड–01 से प्राप्त 15 दिनों से अधिक लंबित शिकायत के संबंध में संबंधित कनीय अभियंता से पृच्छा की गई। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त योजना PRD के छूटे हुए टोलो से संबंधित है, जहाँ 35 घरों के लिए 2500 मीटर पाईपलाईन बिछाने की आवश्यकता है। इस संबंध में संबंधित कनीय अभियंता को जानकारी का अभाव रहने के कारण प्रशाखा–05/11 से स्पष्टीकरण पूछते हुए अगले आदेश तक वेतन स्थगित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0) के प्रावैद्यिक सचिव/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ CGRC Portal से प्राप्त 15 दिनों से अधिक एवं 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों के निराकरण के संबंध में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर अंतर्गत सभी सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को निदेशित किया गया कि आज की बैठक में निर्धारित किए गए तिथि में ससमय अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता।

➢ <u>अन्यान्यः–</u>

❖ CGRC Portal से प्राप्त शिकायतों के संबंध में कार्यपालक अभियंता प्रत्येक दिन अपने अधीनस्थ अवर प्रमंडलों के सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के स्तर से लंबित शिकायतों का अनुश्रवण करेंगे। अधीक्षण अभियंता तीन दिन पर अपने अधीनस्थ प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता के स्तर से लंबित शिकायतों का अनुश्रवण करेंगे। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता अपने अधीनस्थ अंचलों के अधीक्षण अभियंता के स्तर से लंबित शिकायतों का अनुश्रवण प्रत्येक सप्ताह करेंगे। साथ ही कार्यवाही का प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराऐंगे।

अनुपालनः– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

❖ सभी सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को PRD के छूटे हुए टोलो से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु 30 दिन एवं विद्युत तार/पोल/पंप ऑपरेटर के समस्याओं के निष्पादन हेतु 7 दिन का समय दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित सहायक अभियंता/संबंधित कनीय अभियंता ।

❖ अधीक्षण अभियंता, जल गुणवत्ता अनुश्रवण (दक्षिण बिहार) सभी प्रमंडलों को निदेशित करेंगे कि अगली प्रस्तावित बैठक में निम्न बिन्दुओं की अद्यतन प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे :–

1. विद्युत/पंप ऑपरेटर से संबंधित समस्याओं की एक सूची तैयार कर जिला पदाधिकारी एवं मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उस पर की गई कार्रवाई का अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. MIS पर Scheme Repairing Activity के माध्यम से CGRC/Non CGRC से संबंधित कार्यों को Assign किए जाने की स्थिति।
3. जिन पंप ऑपरेटरों द्वारा मोटर संचालित नहीं की जाती है, उसकी एक सूची तैयार कर जिला पदाधिकारी/मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

25.05.26

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 14/के03–1024/24–438 दिनांक– 27/5/26

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार / सभी सहायक यांत्रिक अभियंता–सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/के03–1024/24–438 दिनांक– 27/5/26

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव(मु0) के प्रावैधिक सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आइटी मैनेजर/संबंधित सहायक अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/के03–1024/24–438 दिनांक– 27/5/26

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव /विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)